न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 01/2020 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
GCMS No. 2020/.00102

1. नगर परिषद् श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगरं

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री धनराज पुत्र श्री भंवरलाल मोदी निवासी 21 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
2. श्री ललित कुमार पुत्र श्री भंवरलाल मोदी निवासी 21 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवरलाल मोदी निवासी 21 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
4. श्री कृष्णलाल पुत्र श्री भंवरलाल मोदी निवासी 21 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जितेन्द्र कुमार श्रीमाली —अभिभाषक अपीलांट
श्री गगन मोदी — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 17.02.2026

यह निगरानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 व धारा 80(2) के अन्तर्गत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2013 को निरस्त किये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। निगरानी अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

1— निगरानीकर्ता प्रार्थी के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा 21 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर के 30'×45'=1350 वर्गफुट भूखण्ड को खांचा भूमि आवंटन के संबंध में आवेदन किया, जिसे निगरानीकर्ता ने स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के हक में विक्रय पत्र खांचा भूमि दिनांक 02.01.2013 को जारी कर दिया। उक्त विक्रय पत्र खांचा भूमि दिनांक 02.01.2013 को निरस्त करने बाबत निगरानीकर्ता ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने लिखित बहस पेश करते हुए अवगत कराया कि उक्त याचिका विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2013 तादादी 30'×45'=1350 वर्गफुट भूमि जो नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित की गई थी, को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत हुई है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों को उचित एवं सही मानते हुए अप्रार्थीगण को विक्रय पत्र खांचा भूमि जारी कर दिया। पूर्व में यह क्षेत्र नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में था, जो कालांतर में प्रार्थी संस्था को हस्तांतरित किया गया। दिनांक 19.11.2015 को श्री राकेश कौशिक व विक्रम कुमार की शिकायत उक्त विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2013 के संबंध में प्राप्त हुई कि उक्त विक्रय पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जारी किया गया। उक्त शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी ने उक्त विक्रय पत्र को नगर पालिका नियमों के अंतर्गत अवैधानिक पाया। उक्त खांचा भूमि के विक्रय पत्र से पूर्व दो बार अप्रार्थीगण को खांचा भूमि आवंटित हो चुकी थी। प्रथम बार दिनांक 06.01.84 को 15×30 का, द्वितीय बार दिनांक 06.02.86 को 15×30 का तथा तृतीय बार दिनांक 02.01.2013 को 30×45 साईज की डीड नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी की गई। अप्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाकर उक्त कार्यवाही की गई। राज्य सरका के आदेश दिनांक 10.06.2016 द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि वादगत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2013 निरस्त किया जावे अथवा बाद तस्दीक विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2013 अन्य कोई दस्तावेजात अप्रार्थीगण के द्वारा निष्पादित किये गये हो शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जावें व उक्त जायदाद का कब्जा दिलवाया जावे। अतः याचिका कर्ता नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिवीजन स्वीकार फरमायी जावे।

3— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के समक्ष वादगत भूखण्ड को खांचा भूमि में आवंटित किये जाने का आवेदन किया। उक्त आवेदन के संबंध में वांछित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने के उपरांत निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थीगण के हक में निगरानी अधीन विक्रय पत्र खांचा भूमि दिनांक 02.01.2013 जारी किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा समस्त दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच कर विक्रय पत्र जारी किया गया है। उक्त विक्रय पत्र निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की सभी शर्तो व नियमों का पालन करते हुए जारी किया गया है। उक्त विक्रय पत्र एक पंजीवद्ध दस्तावेज है, जिसे निरस्त किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नहीं है। निगरानी कर्ता द्वारा पेश निगरानी इस न्यायालय में मियाद बाहर पेश की गई। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में मियाद माफी बाबत कोई कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः निगरानी निगरानीकर्ता खारिज की जाकर वादगत विक्रय पत्र यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी पेश कर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध विक्रय विलेख खांचा भूमि दिनांक 02.01.2013 तादादी 30×45=1350 वर्गफुट 21, जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी वादगत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2013 के विरूद्ध की गई है, जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज है। विधि के सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानी निगरानीकर्ता आधार हीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

5— तदनुसार निगरानी निगरानीकर्ता निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर